UPMT010015942026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या 03, जनपद मथुरा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–733/2026
खुर्शीद उर्फ खुस्सी बनाम उ.प्र.राज्य

आदेश

1. मुकदमा अपराध संख्या– 36/2026 धारा–309(4), 352, 317(2) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), थाना– कोसीकलां, जिला– मथुरा के अभियुक्त **खुर्शीद उर्फ खुस्सी** की ओर से जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी पवन कुमार पुत्र रिसाल सिंह ग्राम खेडला थाना पिलानी जिला झुन्झुनू (राजस्थान) का रहने वाला है। दिनांक 20.01.2026 को रात्रि 09:20 बजे प्रार्थी अपने गांव खेडला से अपनी गाड़ी महिंद्रा पिकअप संख्या RJ18GC9582 में एक भैंस, एक गाय व बच्चे लादकर ग्राम मलसराय गोवर्धन मथुरा में जनक की डेयरी पर लेकर जा रहा था। दिनांक 21.01.2026 को समय करीब 02:15 बजे जब प्रार्थी मथुरा–होडल टोल पार कर रहा था तो प्रार्थी की गाड़ी के पीछे एक सफेद अपाची मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात लड़के आए और प्रार्थी की गाड़ी को रुकवा लिया तथा गाली–गलौज करते हुए बोले कि गाय कहाँ लेकर जा रहे हो, बाबा की गौशाला लेकर चलो। उक्त व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी के साथ धक्का–मुक्की करते हुए हाथ में काट लिया तथा गाड़ी की चाबी छीन ली। इसके बाद दो लड़कों ने प्रार्थी को बीच में बैठा लिया तथा उनमें से एक लड़का गाड़ी चलाने लगा और प्रार्थी को कोटवन कट पर उतार दिया तथा प्रार्थी की गाड़ी को लेकर कोटवन गाँव जाने वाले रास्ते की ओर चले गए। प्रार्थी द्वारा घटना की सूचना 112 नम्बर पर दी गयी। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की गाड़ी बरामद कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। उक्त तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु.अ.सं. 36/2026 अंतर्गत धारा–309(4), 352, भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) अभियुक्त नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत हुआ।
3. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा न तो किसी न्यायालय में लगा है और न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। लूटी हुई कोई गाय–भैंस व गाड़ी की बरामदगी अभियुक्त से नहीं दर्शायी है। घटना अपाचे मोटर साइकिल से करना दर्शाया है, न अपाचे मोटरसाइकिल बरामद दर्शायी है। अभियुक्त का पूर्व का अपराधिक इतिहास है, जिसमें जमानत पर रिहा है। घटना का कोई जनसाक्षी नहीं दर्शाया है। प्रार्थी के अपने ही रूपयों को बरामद दिखाकर गलत चालान कर दिया है। अभियुक्त प्रतिष्ठित परिवार का सदस्य है। अभियुक्त दिनांक 12.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
5. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अभियोजन के अनुसार अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की महिंद्रा पिकअप संख्या RJ18GC9582 जिसमें एक भैंस, एक गाय व बच्चे लदे थे, को लूट लेने का आरोप आक्षेपित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई गयी है। फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। फर्द बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी हो, ऐसा भी अभियोजन का कोई तर्क नहीं है। अभियुक्त दिनांक 12.02.2026 से जिला कारागार मथुरा में निरूद्ध है। साथ ही अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त के आपराधिक इतिहास अथवा किसी पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में भी कोई कथन नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदकगण/अभियुक्तगण को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

7. तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **खुर्शीद उर्फ खुस्सी** द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख रूपये) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो स्थानीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाए–

   क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,
   ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,
   ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,
   घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,
   ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

8. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई० मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 17.03.2026

(अरविन्द कुमार यादव–II)
प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा
ID– UP 6351